दिनांक 01.09.2016 को डा0 प्रदीप कुमार, प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0 की अध्यक्षता में आहूत झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के प्रबंध पर्षद की 27वीं बैठक की कार्यवाही:–

उपस्थिति:–

1. प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग–सह–अध्यक्ष, जे0आर0डी0ए0।
2. उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
3. उप विकास आयुक्त–सह–परियोजना निदेशक, जे0आर0डी0ए0, धनबाद।
4. निदेशक तकनिकी (संचालन) बी0सी0सी0एल0–सह–सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
6. अपर समाहर्त्ता, धनबाद–सह–सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
7. क्षेत्रीय निदेशक, सी0एम0पी0डी0आई0एल0–सह–सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
8. उप महाप्रबंधक, पर्यावरण–सह–सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।
9. जिला भू–अर्जन पदाधिकारी–सह–सदस्य, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद।

सर्वप्रथम उपायुक्त–सह–प्रबंध निदेशक के द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त का स्वागत किया गया एवं उनसे अनुमति मिलने के उपरान्त दिनांक 07.11.2015 के प्रबंध पर्षद में लिए गये निर्णय का अनुपालन प्रतिवेदन एवं वर्तमान बैठक के AGENDA प्रस्तुत किया गया।

अनुपालन बिन्दु

पूर्व के एजेंडा की सभी बिन्दुओ का अनुपालन स्थिति देखा गया और अंतिम बिन्दु पर गहन विचार किया गया।

1 **बी0सी0सी0एल0 द्वारा प्रदत्त भू–भाग के रैयतो को नियोजन/प्रशिक्षण देने के संबंध में:–**प्रभारी पदाधिकारी (R&R & Estb.) के द्वारा बतलाया गया कि बी0सी0सी0एल0 द्वारा मुकुन्दा ओपेन कास्ट के लिए लगभग 24–25 वर्ष पूर्व 1973 ए0 जमीन का अधिग्रहण हुआ था और 183 व्यक्तियो को नियोजन दिया गया। लेकिन आज कि प्रभावित रैयतो के आश्रितो द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही है। वर्तमान में बी0सी0सी0एल0 ने एक नीतिमूलक निर्णय ले लिया है कि बिना योजना वाले क्षेत्र के लिए उनके द्वारा नियोजन नही दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त के द्वारा परामर्श दिया गया कि ऐसे प्रभावित रैयतो के आश्रितो को CSR ACTIVITIES के अन्तर्गत बी0सी0सी0एल0 को कार्योन्मुखी एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। भले ही बी0सी0सी0एल0 को इस संबंध में अधिक से अधिक खर्च करना पडे। निदेशक तकनीकि (संचालन) द्वारा आश्वासन दिया कि इस तरह के प्रशिक्षण पर बी0सी0सी0एल0 के द्वारा विचार किया जा सकता है। अन्त में यह निर्णय हुआ कि बी0सी0सी0एल0 TRADEWISE प्रशिक्षण के लिए एक योजना जे0आर0डी0ए0 को शीघ्र उपलब्ध करायेगा ताकि इस योजना को लेकर बेलगड़िया तथा अन्य प्रभावित परिवारों से बात किया जा सके।

बोर्ड में लिया गया निर्णय:– इस संबंध में अभी तक की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया। प्रमण्डलीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष ने इस संबंध में निर्देशित किया कि बी0सी0सी0एल0 अपने CSR ACTIVITY के अन्तर्गत इन विस्थापितों के EDUCATED बच्चे को ट्रेनिंग हेतु अलग से अपने VOCATIONAL TRAINING CENTRE की व्यवस्था करेंगी जो कि ITI के समतुल्य होगा और जिसका CERTIFICATION सरकारी मान्य होगा। तकनिकी निदेशक, बी0सी0सी0एल0 ने VOCATIONAL TRAINING CENTRE में दिये गये ट्रेनिंग की संबंध में विस्तार रूप से बताया की वहाँ पर बी0सी0सी0एल0 अपने कर्मी को ही अपने काम के अनुरूप ट्रेनिंग दिया जाता है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नही है। वहाँ से ट्रेनिग लेने के बाद कोई भी आवेदक अन्य संस्था में Job नही कर सकता है। इस पर प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0 ने प्रस्तावित ITI को मान्यता राज्य सरकार से करा देने का आश्वासन दिया जिससे वहाँ से ट्रेनिग लेने के बाद विस्थापितों को भी ITI का CERTIFICATION मिल सकेगा और वह किसी अन्य संस्थान पर भी काम करने के लिए अपना आवेदन कर सकेंगे। इससे रोजगार मिलने पर विस्थापितों में भी उत्साह आयेगा और विस्थापन करने में सहायता होगी। अन्त में तकनिकी निदेशक, बी0सी0सी0एल0 ने यह सुझाव दिया कि जे0आर0डी0ए0 को विस्थापितों में से ट्रेनिंग की

लिए Candidate को चयन कर सूची देना होगा, जिसपर प्रबंध निदेशक ने सहमति जताई। इस तरह BCCL CSR के अन्तर्गत ITI की सम्पूर्ण व्यवस्था BCCL को करनी होगी।

दिनांक 07.11.2015 की कार्यवाही की सम्पूष्टि की गई।

नवीन एजेंडा

2. **COMPREHENSIVE PROPOSAL FOR REVISED PLAN** :– High Power Central Committee (HPCC) कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निदेश पर झरिया कोलफिल्ड के लगभग 1.20 लाख LEGAL TITLE HOLDER एवं अतिक्रमणकारी परिवारों के विस्थापन हेतु LARR Act 2013 के मानदण्डों के आधार पर लगभग 31000 करोड रूपये की कार्य योजना (COMPREHENSIVE PROPOSAL) फरवरी 2016 में कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली को समर्पित किया गया था जिसका 9 अप्रैल 2016 को कोयला सचिव, भारत सरकार द्वारा धनबाद परिदर्शन के क्रम में अवलोकन किया गया। इसके बाद दिनांक 11 मई 2016 को माननीय कोयला राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई जिसमें उपायुक्त, धनबाद–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा COMPREHENSIVE PROPOSAL का प्रस्तुतिकरण किया गया। उक्त समीक्षा बैठक में श्री यु0 पी0 सिंह, प्रधान सचिव, खान एवं भू–तत्व विभाग, झारखण्ड सरकार भी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक की प्राप्त कार्यवाही (PROCEEDING)/RECORD OF DISCUSSION में खतरनाक क्षेत्र में बसे लोगों में सतर्कताबोध जागृत (sensetizing) करने तथा स्वेच्छा से विस्थापित होने के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया एवं साथ ही चार तल्ला (G+3) पद्धति के भवन निर्माण में PREFABRICATED TECHNOLOGY को अपनाने का दिशा निदेश दिया गया किन्तु विकसित होने वाले आवास का क्षेत्रफल बढ़ाने का कोई निर्णय संसूचित नही किया गया है, जिसके लिए उपायुक्त–सह–प्रबंध निदेशक, जे0आर0डी0ए0 द्वारा भारत सरकार को जे0आर0डी0ए0 के पत्रांक 578 दिनांक 09.06.16 एवं पत्रांक 619 दिनांक 05.07.16 द्वारा अनुरोध किया गया है।

वस्तुतः PLINTH AREA में बढ़ोतरी नही होने से जे0आर0डी0ए0 में संशय की स्थिति बनी हुई है क्योंकि माननीय कोयला मंत्री की अध्यक्षता में उपर्युक्त समीक्षा बैठक में PLINTH AREA के बढ़ोतरी पर चर्चा हुई थी। PREFABRICATED TECHNOLOGY को अंगिकार करने में भी दुविधा की स्थिति है क्योंकि यह तकनीक एक नई तकनीक है एवं जे0आर0डी0ए0 को इसके बारे में तकनीकि परिपक्कता नही है। यही नही नई तकनीक के मानदण्डों के अनुरूप वर्तमान SCHEDULE OF RATE (SOR) में कोई Item नही है। इसके लिए मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग को पत्र दिया गया है।

इस प्रकार PLINTH AREA में अनिर्णय की स्थिति, नये PREFABRICATED TECHNOLOGY के ADOPTATION एवं SOR में नये तकनीक के ITEM के नही रहने के कारण पुराने AWARDED WORK को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। नये कार्यो का विस्तृत कार्य योजना (DPR) इन मानदण्डों के APPROVAL के बाद ही किया जा सकता है।

बोर्ड में लिया गया निर्णयः– Comprehensive Proposal को कोयला मंत्रालय में submit करने एवं इस संबंध में माननीय कोयला राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की बैठक में लिये गये निर्णयों से जे0आर0डी0ए0 बोर्ड को अवगत कराया गया। चूँकि मास्टर प्लान में बी0सी0सी0एल0 के कई बिन्दुओं का समावेश नही है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि CMPDIL जिसने की मास्टर प्लान की रचना की है इन सभी बिन्दुओं पर UPDATION करके BCCL एवं जे0आर0डी0ए0 के सहयोग से तथ्यात्मक प्रस्ताव बनवाये जिसको कोयला मंत्रालय के माध्यम से आने वाली HPCC की बैठक में रखा जायेगा। बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि CMPDIL इस Revised Updated Cost Estimate/Proposal में LARR Act 2013 में वर्णित 50 वर्ग मी0 के विस्थापित आवास के Design/Drawing एवं Estimate को समाहित करें। इस प्रस्ताव पर आधारित नोट CCEA के समक्ष रखने एवं अनुमोदन के पश्चात् ही इस संबंध में जे0आर0डी0ए0 आगे की कार्यवाही हेतु सक्षम हो सकेगा।

भवन निर्माण की नयी TECHNOLOGY के ADOPTION एवं तदनुसार नई BIDDING व्यवस्था के विषय में विचार–विमर्श के उपरान्त आयुक्त महोदय का निदेश हुआ कि प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा; जिसमें बी0सी0सी0एल0, सी0एम0पी0डी0आई0एल, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार एवं राज्य सरकार के TECHNICAL EXECUTIVES को रखा जायेगा और उन्हें NEW DELHI एवं HYDERABAD में TECHNOLOGY के विस्तृत जानकारी के लिए भेजा जायेगा। उसके बाद अगर जरूरत